



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072020-220800
CG-DL-E-31072020-220800

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]
No. 369]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SRAVANA 7, 1942

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

सा. का. नि. 473(अ).— केन्द्रीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1996 को, जहां तक उसका संबंध रजिस्ट्रार (विधि), संयुक्त सचिव, उप महानिरीक्षक, निदेशक, संयुक्त रजिस्ट्रार, निजी सचिव, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहायक रजिस्ट्रार, अवर सचिव, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, विशेष सचिव/निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव, ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक, सूचना और लोक संपर्क अधिकारी, कार्यक्रमक, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक निदेशक (हिन्दी), ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी), अनुसंधान सहायक, कार्यक्रमण सहायक और कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) के पदों से है तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1996 को, जहां तक उसका संबंध सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक समूह 'घ', निम्न श्रेणी लिपिक, सवार हरकारा, कांस्टेबल, पुस्तकालय सहायक, दफ्तरी, चपरासी, फराश और सफाई कर्मचारी के पदों से है तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (स्टाफ कार चालक, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2003 और राष्ट्रीय मानव

अधिकार आयोग (अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की सेवा शर्तें) नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषा.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो "आयोग" से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 3 के अधीन गठित 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' अभिप्रेत है।
3. आयोग के अधिकारी और कर्मचारीवृंद.- आयोग के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की प्रकृति और श्रेणियां तथा भर्ती की पद्धति और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
4. सेवा की शर्तें.- वेतन, भत्तों, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे तथा सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में आयोग के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की सेवा की शर्तें वे होंगे जो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद पर, इन पदों के साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में समान स्तर के अनुसार, इस संबंध में लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की शर्त के अधीन, विनियमित होते हैं।
5. चिकित्सा सुविधाएं.- आयोग के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की चिकित्सा सुविधाएँ वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं के अधीन हैं।
6. वेतन मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर.- संलग्न पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
7. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
8. आरंभिक गठन.- (1) ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व नियमित आधार पर मुख्य समन्वयक (प्रशिक्षण), प्रस्तुतीकरण अधिकारी, उप रजिस्ट्रार, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), उप सचिव, तंत्र विश्लेषक, सहायक सूचना अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रलेखीकरण अधिकारी, ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक, उप प्रलेखीकरण अधिकारी, लेखाकार और उच्च श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।
(2) इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व अपनी-अपनी श्रेणी में उपरोक्त निर्दिष्ट पदधारी की नियमित निरंतर सेवा पर प्रोन्नति, पुष्टि और सेवा में पेंशन के लिए परीविक्षा अवधि, ज्येष्ठता, अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना किया जाएगा।
9. नियुक्ति प्राधिकारी.- (1) उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 23 तक उपरोक्त उल्लिखित सभी पदों पर नियुक्तियां, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जाएगी।
(2) उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की क्रम संख्या 24 से क्रम संख्या 33 तक उपरोक्त उल्लिखित सभी पदों पर नियुक्तियां, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जाएगी।

(3) उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की क्रम संख्या 34 से क्रम संख्या 44 तक उपरोक्त उल्लिखित सभी पदों पर नियुक्तियां, निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जाएगी।

10. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; [उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा]:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

11. शिथिल करने की शक्तियाँ.- इन नियमों के किसी उपाबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल करने की शक्तियां केन्द्रीय सरकार के परामर्श से अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में निहित होंगी।

12. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	पद का वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रजिस्ट्रार (विधि)।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-15 (182200-224100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

अर्हताएं।			प्रतिशतता।	आमेलन किया जाएगा।		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): ऐसे अधिकारी जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या अधिकरणों के रजिस्ट्रार (न्यायिक) या राज्य न्यायिक सेवाओं में उच्चतर न्यायपालिका के सदस्यों का पद धारण किये हुए हैं, जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ता है: - आवश्यक - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री। वांछनीय - (i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर डिग्री;	(1.)अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष; (2.)सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य; (3.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य। टिप्पण : - उपरोक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में रजिस्ट्रार (विधि) के पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के	लागू नहीं होता।

				<p>(ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में अनुसंधान का अनुभव:</p> <p>(क) संवैधानिक विधि और उसके सिद्धांत।</p> <p>(ख) मानव अधिकार विधिशास्त्र।</p> <p>पुनर्नियोजन द्वारा :-</p> <p>ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधीन सदृश पद धारण किये हुए हैं और जिनके पास उच्चतर न्यायपालिका में रजिस्ट्रार के रूप में अनुभव हो या विधि का निर्वाचन से अन्तर्गत या कानून को लागू करने के संबंध में कोई अन्य पद धारण किया हुआ हो।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत</p>	सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।	
--	--	--	--	---	--------------------------------	--

				<p>इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p> <p>टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की दशा में तीन वर्ष या पैसठ वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तक</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				की अवधि के लिए विनियोजन किया जायेगा।		
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. संयुक्त सचिव।	1 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-14 (144200-218200 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।	<p>सूचीबद्ध अखिल भारतीय अथवा केन्द्रीय सेवा के ऐसे अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु.) का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, की प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख को</p>	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

			उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर रखा जा सकता है।		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. मुख्य समन्वयक (प्रशिक्षण)।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-14 (144200-218200 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजन या प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	<p>पुनर्नियोजन: ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या अन्य कानूनी स्वायत्त निकायों में नियमित आधार पर सदृश पद किये हुए हैं।</p> <p>सूचीबद्ध अखिल भारतीय अथवा केन्द्रीय सेवा के ऐसे अधिकारी या केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु.) का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.) का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, अथवा ऐसे अधिकारी जो कानूनी स्वायत्त निकायों के अधीन नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, की प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके</p>	<p>(1) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष;</p> <p>(2) सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य;</p> <p>(3) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य।</p> <p>टिप्पण: - उपरोक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मुख्य समन्वयक (प्रशिक्षण) के पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।</p>	लागू नहीं होता

			<p>अन्तर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को “अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं” होगी।</p> <p>टिप्पण 3: पुनर्नियोजन की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. प्रस्तुतीकर्ता अधिकारी।	5 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-14 (144200-218200 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो जिला या अपर जिला और सत्र न्यायाधीशया विशेष न्यायाधीश के पद पर हो अथवा धारण किया हुआ हो।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है),</p>	<p>(1) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष;</p> <p>(2) सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य;</p> <p>(3) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य;</p> <p>(4) रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार</p>	लागू नहीं होता।

			<p>जिसके अन्तर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "अट्टावन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p>	<p>आयोग-सदस्य।</p> <p>टिप्पण :- उपरोक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में प्रस्तुतीकर्ता अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।</p>	
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप महानिरीक्षक।	1 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-13क (131100-216600 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति।	<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>(i) भारतीय पुलिस सेवा या केंद्रीय पुलिस संगठन के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्हें केंद्रीय सरकार के अधीन उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।</p>	<p>(1.) सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3.) महानिदेशक (अन्वेषण), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

			<p>टिप्पण 1 : उप महानिरीक्षक के रूप में सूचीबद्ध भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 14 वर्ष सेवा की है, उप महानिरीक्षक के रूप में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए पात्र होगा।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p>	<p>टिप्पण :- उपरोक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में उपमहानिरीक्षक के पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।</p>	
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक।	4 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-13 (123100-215900 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा: (i) चयन श्रेणी में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200रु.) में भारतीय पुलिस सेवा	(1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष; (2.) महानिदेशक (अन्वेषण), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;	लागू नहीं होता।

			<p>या केंद्रीय या राज्य पुलिस बलों या संगठनों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>पुनर्नियोजन द्वारा: भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो चयन श्रेणी के स्तर के अधिकारी या केंद्रीय पुलिस बलों / संगठनों के सेवानिवृत्त अधिकारी या राज्य पुलिस बलों के सेवानिवृत्त अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p>	<p>(3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p> <p>टिप्पण :- उपरोक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।</p>	
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. निदेशक।	1 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-13 (123100-215900 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	<p>प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।</p>	<p>प्रोन्नति: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे उपसचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रु.) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):</p> <p>(1.) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग —सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

			<p>स्तर-12 (78800-209200 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास कार्मिक और सामान्य प्रशासनिक मामलों में पांच वर्ष का अनुभव है।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को “छप्पन वर्ष से अधिक नहीं” होगी।</p>	
--	--	--	---	--

				<p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख को वह सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर रखा जा सकता है।</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. संयुक्त रजिस्ट्रार।	1 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-13 (123100-215900 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	<p>प्रोन्नति :- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे उपरजिस्ट्रार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 में (78800-209200 रु.) में पांच वर्ष नियमति सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए): (1.) अध्यक्ष या सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष; (2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p>	लागू नहीं होता।

			<p>दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री और न्यायालय मामलों में या निर्वचन से अंतरग्रस्त या कानून को लागू करने के संबंध में कोई अन्य पद धारण किया हुआ हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके</p>	<p>(3.) रजिस्ट्रार(विधि) ,राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p>	
--	--	--	--	---	--

			अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. उप रजिस्ट्रार।	3* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-12 (78800-209200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रोन्नति :- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे सहायक रजिस्ट्रार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700- 208700 रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

			<p>उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री और न्यायालय मामलों में या निर्वचन से अंतरग्रस्त या कानून को लागू करने के संबंध में कोई अन्य पद धारण किया हुआ हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के</p>	<p>(2.) रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;</p> <p>(3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-12 (78800-209200रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति :- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने वेतन	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता।

		<p>(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।</p>	<p>मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव हैं:- आवश्यक</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की मास्टर डिग्री;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र या</p>	<p>जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <p>(1.) सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;</p> <p>(3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।</p>	
--	--	---	---	--	--

			<p>सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, मानव अधिकार या मनोविज्ञान या जनसंख्या अध्ययन या अपराध शास्त्र में मास्टर डिग्री।</p> <p>(iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से उपरोक्त किसी भी विषय में अनुसंधान करने का पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव।	01* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-12 (78800-209200रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	<p>प्रोन्नति :-</p> <p>राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे प्रधान निजी सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संघठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <p>(1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;</p> <p>(3.) निदेशक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

			<p>टिप्पण 1: विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. उप सचिव।	01* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-12 (78800-209200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति :-</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐसे अवर सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें</p>	लागू नहीं होता।

			की है। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	निम्नलिखित होंगे:- (1.) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, -अध्यक्ष; (2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य; (3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।	
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. सहायक रजिस्ट्रार।	10* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-11 (67700-208700 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नति:- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

				<p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद</p>	<p>(2.) रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;</p> <p>(3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1.) रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;</p> <p>(2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;</p> <p>(3.) संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			<p>धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद में नियुक्ति के पश्चात सात वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है।</p> <p>टिप्पण 1 : विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p>	
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. अवर सचिव।	3* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-11 (67700-208700रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में मानव अधिकार आयोग में ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1.) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष;</p> <p>(2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;</p> <p>(3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव</p>	लागू नहीं होता।

				<p>कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात सात वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख)जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>अधिकार आयोग-अध्यक्ष;</p> <p>(2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;</p> <p>(3.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी।	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-11 (67700-208700रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति :- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐसे अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-	लागू नहीं होता।

				<p>अध्यक्ष;</p> <p>(2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;</p> <p>(3.) संयुक्त निदेशक (आर), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य।</p>	
			<p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी; (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित</p>		

			<p>अहर्ताएं और अनुभव हों; आवश्यक अर्हताएं :</p> <p>(i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीतिज्ञ विज्ञान, इतिहास, सांख्यिकी, समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) सामाजिक विज्ञान संबंधित विषयों में 4 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव।</p> <p>वांछित अहर्ताएं: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
16. प्रधान निजी सचिव।	07* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-11 (67700-208700 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रोन्नति:- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐसे निजी सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44900-142400रु.) में सात वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1.) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष; (2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;	लागू नहीं होता।

				<p>व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त या कानूनी संगठनों पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी, जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष;</p> <p>(2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -सदस्य;</p> <p>(3.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -सदस्य।</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. ज्येष्ठ तंत्र विश्लेषक।	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-11 (67700-208700रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित आर्हताएँ तथा अनुभव हों; आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या गणित या ऑपरेशन अनुसंधान या भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र या वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री; या उपर्युक्त (i) में उल्लिखित किसी भी विषय में डॉक्टोरेट;	(1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष; (2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य; (3.) संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य। टिप्पण : - उपरोक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ज्येष्ठ तंत्र विश्लेषक के	लागू नहीं होता।

			<p>या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री।</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग वर्क में सात वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर में एक्च्यूयल प्रोग्रामिंग का हो।</p> <p>वांछनीय -:</p> <p>(i) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग या सिस्टम डिजाइन या विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण।</p> <p>(ii) इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर साईंस में मास्टर डिग्री।</p> <p>टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतयाचार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।</p>	
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. सूचना और जनसंपर्क अधिकारी।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-11 (67700-208700रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</p> <p>केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से जनसंपर्क या पत्रकारिता या मास कम्प्यूटेशन में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा तथा जनसंपर्क या प्रचार, प्रिंटिंग या प्रकाशन में पर्यवेक्षण हैसियत का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्यपद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(1.) सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;</p> <p>(2.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;</p> <p>(3.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।</p> <p>टिप्पण :- उपर्युक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. तंत्र विश्लेषक	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे कार्यक्रमक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p>	लागू नहीं होता

			<p>कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविधायलयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद में नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक आहर्ताएँ और अनुभव हों:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या एमएससी (कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी); या</p>	<p>(3.) अवरसचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग में बैचलर या प्रौद्योगिकी में बैचलर।</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य का पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--	--	--	--

				<p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।</p>	
--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. सहायक सूचना अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</p> <p>केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पत्रकारिता में डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारण किए हुए हैं और जिनके पास जनसंपर्क या प्रचार, मुद्रण और प्रकाशन में पर्यवेक्षी हैसियत में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है।</p>	<p>(1.) सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p> <p>टिप्पण: - उपरोक्त समिति के सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सहायक सूचना अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के</p>	लागू नहीं होता

			<p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।	
--	--	--	--	--------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. अनुसंधान अधिकारी	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन	<p>आयु पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं हो। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचलप्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा पांगी उप-खण्ड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों लिए विहित की गई है।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>आवश्यक- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री।</p> <p>वांछनीय:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री; (ii) किसी भी सामाजिक विज्ञान में तीन वर्ष अनुसंधान का अनुभव।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>	<p>(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा;</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।</p>	<p>प्रोन्नति: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900- 142400 रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1.) महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3.) संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

			<p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविधायलयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आहर्ताएँ और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) संयुक्त निदेशक (आर), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3.) ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p>	
--	--	--	--	--	--

				टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रलेखीकरण अधिकारी	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</p> <p>केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर पुस्तकालय सेवा में सदृश पद किए हुए हैं;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स-8 (47600-151100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं;</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री;</p>	<p>(1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3.) संयुक्त निदेशक (आर), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p> <p>टिप्पण: - उपरोक्त समिति के सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रलेखीकरण अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थी</p>	लागू नहीं होता।

			<p>(ii) किसी पुस्तकालय, जिसके अंतर्गत प्रलेखीकरण और ग्रंथसूचिकरण कार्य भी है, में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>के चयन के लिए यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।</p>
--	--	--	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23. सहायक निदेशक (हिन्दी)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति द्वारा: - राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1.) महासचिव,</p>	लागू नहीं होता।

			<p>सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविधायलयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं; आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय</p>	<p>राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>से हिंदी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम हो और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम हो और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थाओं के अधीन अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का</p>	
--	--	--	---	--

			<p>अंग्रेजी से हिंदी या विपर्ययेन शब्दावली (ग्रंथ सूचिकरण कार्य) का उपयोग करने या लागू करने का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी का अध्यापन अथवा हिंदी या अंग्रेजी के अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं के स्तर पर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं का अध्ययन किया गया हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.कार्यक्रमक	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रोन्नति: - राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे कार्यक्रमण सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या सरकारी अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2.) संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3.) ज्येष्ठ तंत्र विश्लेषक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

				<p>उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: -</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित (सांख्यिकी सहित) या ऑपरेशन अनुसंधान या भौतिकी या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) या वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री; या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान में बैचलर की डिग्री।</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य का तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो;</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>या</p> <p>उपरोक्त (i) में उल्लिखित विषयों में से किसी भी विषय में इंजीनियरी या डॉक्टरेट में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सिस्टम डिजाइन या विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण;</p> <p>(ii) एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25. ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रोन्नति: राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग में ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग</p>	लागू नहीं होता।

			<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): -</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या सरकारी अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रु.) में नियमित आधार पर कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) के पद पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है: -</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम</p>	<p>- सदस्य;</p> <p>(3) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>के रूप में अंग्रेजी रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम हो और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम हो और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और</p> <p>हिंदी से अंग्रेजी में और विपर्ययेन अनुवाद</p> <p>कार्य का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या</p> <p>सर्टिफिकेट कोर्स अथवा केन्द्रीय सरकार या</p> <p>राज्य सरकार जिसके अंतर्गत भारत</p> <p>सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी</p>	
--	--	--	---	--

			<p>और विपर्ययेन अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26. ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक।	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रोन्नति:- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे अनुसंधान सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

			<p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी: (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं: आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री;</p>	<p>(2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3.) संयुक्त निदेशक (आर), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>(ii) किसी सामाजिक विज्ञान में दो वर्ष अनुसंधान का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. सहायक लेखा अधिकारी।	3* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा;	प्रोन्नति:- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे लेखाकार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार	लागू नहीं होता।

			<p>(ii) 33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।</p>	<p>112400 रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): - केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता हो :</p>	<p>करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;</p> <p>(3) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य ।</p>	
--	--	--	---	---	--	--

			<p>(i) जो केन्द्रीय सरकार के किसी एक संगठित लेखा विभाग द्वारा अधीनस्थ लेखा परीक्षा/ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो;</p> <p>(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्यों में प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. उप प्रलेखीकरण अधिकारी।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति।	<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100रु.) में दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं;</p> <p>आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए): जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष ;</p> <p>(2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य ;</p> <p>(3) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य ।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष;</p> <p>(2) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;</p>	लागू नहीं होता।

			<p>बैचलर डिग्री;</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाके अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव।</p> <p>वांछनीय</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(3) लाइब्रेरियन / प्रलेखन अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।</p>	
--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29. कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी)।	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी रहा हो; या	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधानों, संस्थाओं के	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नीलिखित होंगे:- (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव	लागू नहीं होता।

<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम हो और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम हो और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी</p>				<p>ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>अधिकार</p> <p>आयोगअध्यक्ष-;</p> <p>(2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;</p> <p>(3) सहायक निदेशक (हिंदी), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।</p>	
---	--	--	--	--	--	--

<p>विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो;</p> <p>और</p> <p>हिंदी से अंग्रेजी में और विपर्ययेन अनुवाद कार्य का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी और विपर्ययेन अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।</p>						
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30. अनुसंधान सहायक।	3* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने

					के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू -कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियत की गई अंतिम तारीख है।
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री।</p> <p>वांछनीय: (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त शोध संस्थान से न्यूनतम एक वर्ष का अनुसंधान का अनुभव; (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे विधि या मानव अधिकार में डिग्री।</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष सेवा की है अथवा जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष; (2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;	लागू नहीं होता।

				<p>रु.) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	(3) सहायक निदेशक (हिंदी), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।	
--	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31. कार्यक्रमण सहायक।	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर—6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /आमेलन	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:	(1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष; (2) संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – सदस्य; (3) ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक, राष्ट्रीय मानव	लागू नहीं होता।

			<p>आवश्यक:-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या संक्रियात्मक अनुसंधान या भौतिकी या अर्थशास्त्र या वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर साइंस में डिग्री;</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रसंस्करण कार्य में दो वर्ष के अनुभव, जिसके अंतर्गत कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग अथवा ऑपरेशन में एक वर्ष का अनुभव भी है;</p> <p>या</p> <p>डाटा प्रोसेसिंग कार्य में दो वर्ष के अनुभव, जिसके अंतर्गत यूनिट रिकार्ड सिस्टम (टैबुलर या लेखांकन मशीनों, कोलेटर आदि) में एक वर्ष का अनुभव भी है;</p> <p>या</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री जिसमें सांख्यिकी एक विषय के रूप में रहा हो;</p> <p>(ii) उपर्युक्त (ii) में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछित:-</p> <p>(i) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन में औपचारिक प्रशिक्षण।</p> <p>(ii) एक या अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजिस का ज्ञान;</p> <p>(iii) ऑपरेटिंग मैकेनिकल टैब्यूलेशन उपकरण का अनुभव और ऐसे उपकरण के नियोजन और देखरेख के कार्य का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: आमेलन के लिए केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों पर ही विचार किया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>अधिकार आयोग - सदस्य।</p> <p>टिप्पण:</p> <p>उपरोक्त समिति के सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यक्रमण सहायक के लिए अभ्यर्थी के चयन के लिए, यथास्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।</p>	
--	--	--	--	---	--

				टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32. लेखाकार।	3* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) 67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रोन्नति:- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे कनिष्ठ लेखाकार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.) में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से नकद और लेखा पाठ्यक्रम पूरा किया है। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष; (2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य; (3) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे; (1) निदेशक,	लागू नहीं होता।

			<p>कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर दस वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;</p> <p>(3) सहायक लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य।</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. स्टॉफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति।	<p>प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3) उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

					<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(2) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य।</p>	
--	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	4* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर -5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति।	<p>प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1। जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है या जिन्होंने स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1। और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) में पन्द्रह वर्ष सम्मिलित सेवा की है और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष;</p> <p>(2) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3) उप पुलिस</p>	लागू नहीं होता।

			कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35. स्टॉफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)।	3* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर - 4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति।	<p>प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष;</p> <p>(2) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग - सदस्य;</p> <p>(3) उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग -सदस्य;</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36. स्टॉफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)।	4* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच* (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।)

					<p>टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू -कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियत की गई अंतिम तारीख है।</p> <p>* यह भर्ती प्रत्यक्ष खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाएगी।</p>
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) जिनके पास मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति हो;</p> <p>(ii) मोटर के कल पुर्जे का ज्ञान (अभ्यर्थी यान की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य हो);</p> <p>(iii) मोटर कार चलाने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो; और</p> <p>(iv) 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>होम गार्ड या सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।</p> <p>टिप्पण 1: अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती।	लागू नहीं होता।	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष;</p> <p>(2) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;</p> <p>(3) उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

<p>टिप्पणी 2: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावनाएं नहीं हैं।</p>					
---	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37. कनिष्ठ लेखाकार।	3*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-4 (25500-81100रु.)	लागू नहीं होता।	<p>18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा चालीस वर्ष तक की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू -कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभियार्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख है।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक: - बी.कॉम सहित कम्प्यूटर एप्लिकेशन का ज्ञान।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता।

<p>वांछनीय: - लेखा और रोकड़ के लेन- देन संबंधी मामलों का अनुभव।</p>		<p>अल्पकालिक संविदा भी है।</p>	<p>उपक्रमों, विश्वविद्यालयों अथवा मानयताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;</p> <p>(ii) जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तम्भ- (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष;</p> <p>(2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य;</p> <p>(3.) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य।</p>	
---	--	--------------------------------	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38. उच्च श्रेणी लिपिका।	11* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	<p>(i) 70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा;</p> <p>(ii) 30 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति:- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक की प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में 8 वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा: -</p> <p>(i) केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में अथवा उसके समतुल्य श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में 8 वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;</p> <p>(2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;</p> <p>(3.) सहायक रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

				टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-4 (25500-81100 रु.).	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू -कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी -	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।

<p>पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री;</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव।</p> <p>वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।</p>			<p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ-(7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;</p> <p>(2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;</p> <p>(3.) संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य।</p>	
---	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. आशुलिपिक श्रेणी-घ	22* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की

					निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू -कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख है।
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समतुल्य।</p> <p>(ii) कौशल परीक्षा संबंधी मानदंड :-</p> <p>श्रुतलेख: 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट।</p> <p>अनुलिपिकरण (केवल कम्प्यूटर पर): 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी)।</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी, जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;</p> <p>(2.) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;</p> <p>(3.) सहायक रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार</p>	लागू नहीं होता।

<p>टिप्पण: अंग्रेजी और हिन्दी दोनों के आशुलिपि का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर में डिप्लोमा।</p>			<p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	आयोग- सदस्य।	
---	--	--	--	--------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41. कांस्टेबल	12* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-3 (21700-69100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति।	<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे कार्मिकों में से:-</p> <p>जो किसी केंद्रीय पुलिस सशस्त्र बल में सदृश पद धारण किए हुए हों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे कांस्टेबल, जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(1.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष;</p> <p>(2.) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य;</p> <p>(3.) उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य</p> <p>टिप्पण: -उपरोक्त समिति के सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कांस्टेबल के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के लिए यथा स्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के रूप में कार्य करेंगे।</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42. अवर श्रेणी लिपिका।	20* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	अचयन।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक:- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।	जी हाँ, स्तम्भ (10) में दर्शाई गयी सीमा तक।	दो वर्ष।	(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; टिप्पण: चयन लिखित परीक्षा तथा कम्प्यूटर पर लिए गए टाइपिंग टेस्ट के आधार पर होगा। (ii) 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900रु.) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृन्द, जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अहर्ता है। टिप्पण: ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति की जाएगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष; (2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य; (3.) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार	लागू नहीं होता।

					आयोग- अध्यक्ष; (2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य; (3.) उप सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य।	
--	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43. सवार हरकारा।	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजना।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): - केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) या उसके समतुल्य लेवल में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; तथा (ख) (i) जिनके पास मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति है; (ii) मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव हो; (iii) मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा के कलपुर्जों का ज्ञान हो (अभ्यर्थी को यान में आई छोटी-मोटी खराबी को ठीक करने में दक्ष होना चाहिए।) टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि	(1.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-अध्यक्ष; (2.) अवर सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य; (3.) उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग-सदस्य। टिप्पण: - उपरोक्त समिति के सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सवार हरकारा के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के लिए यथा स्थिति, छानबीन समिति या चयन समिति के रूप में कार्य करेंगे।	लागू नहीं होता।

			<p>(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर रखा जा सकता है।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44. बहुकार्य कर्मचारीवृन्द।	78* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम

					तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख है।
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10 ^{वीं} कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती।	लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1.) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अध्यक्ष; (2.) निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य; (3.) सहायक रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 15011/124/2018-एचआर-III]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2020

G.S.R. 473(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994), and in supersession of the national Human rights Commission (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the posts of Registrar (Law), Joint Secretary, Deputy Inspector General, Director, Joint Registrar, Private Secretary, Senior Superintendent of Police, Assistant Registrar, Under Secretary, Senior Research Officer, Special Assistant/ Private Secretary/ Principal Private Secretary, Senior System Analyst, Information and Public Relations Officer, Programmer, Assistant Accounts Officer, Assistant Director (Hindi), Senior Translator (Hindi), Research Assistant, Programmer Assistant and Junior Translator (Hindi); and in supersession of the National Human Rights Commission (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the posts of Assistant Librarian, Junior Accountant, Stenographer Grade 'D', Lower Division Clerk, Despatch Rider, Constable, Library Attendant, Daftry, Peon, Farash and Safai Karamchari; and in supersession of the National Human Rights Commission (Staff Car Drivers Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2003 and the National Human Rights Commission (Conditions of Service of Officers and Staff) Rules, 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Human Rights Commission (Salaries, Allowances and Conditions of Service of Officers and other Staff) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definition .- In these rules, unless the context otherwise requires, “Commission” means the National Human Rights Commission constituted under Section 3 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994).
3. Officers and Staff of the Commission .- The nature and categories of the officers and staff of the Commission and the method of recruitment and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in the schedule appended to these rules.
4. Conditions of Service .- The conditions of service of the officers and staff of the Commission in the matter of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are applicable to officers and staff belonging to the Central Government, as the case may be, of the corresponding level in pay matrix attached to these posts, subject to the approval of competent authority in the matter.
5. Medical facilities .- The officers and staff of the Commission in the matter of medical facilities shall be covered under Central Government Health Scheme facilities.
6. Number of posts, Classification and level in the pay matrix.- The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
7. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.- The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
8. Initial Constitution.- (1) The incumbent holding the posts of Chief Coordinator (Training), Presenting Officer, Deputy Registrar, Joint Director (Research), Deputy Secretary, System Analyst, Assistant Information Officer, Research Officer, Librarian/ Documentation Officer, Senior Research Assistant, Deputy Documentation Officer, Accountant and Upper Division Clerk on regular basis, immediately before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.
(2) The regular continuous service of incumbent referred above in the respective grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation period, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.
9. Appointing Authority .- (1) All appointments to the posts mentioned from serial number 1 to serial number 23 of column (1) of the said Schedule, shall be made by the Chairperson, National Human Rights Commission.
(2) All appointments to the posts mentioned from serial number 24 to serial number 33 of column (1) of the said Schedule, shall be made by the Secretary General, National Human Rights Commission.
(3) All appointments to the posts mentioned from serial number 34 to serial number 44 of column (1) of the said Schedule, shall be made by the Director, National Human Rights Commission.
10. Disqualification .- No person, –
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; [shall be eligible for appointment to the said posts]:
Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
11. Powers to relax .- The powers to relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons shall vest with the Chairperson, National Human Rights Commission to be exercised in consultation with the Central Government.
12. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification of the post.	Level in pay matrix.	Selection post or Non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Registrar (Law).	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-15 (Rs.182200-224100).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract) failing which by re-employment.	By deputation (including short-term contract):- Officers holding the post of Registrar (Judicial) of Supreme Court or High Courts or Tribunals or Members of Higher Judiciary in State Judicial Services, possessing the following educational qualification: - Essential – Degree in Law from a recognized University. Desirable – (i) Post Graduate Degree in law	(1.) Chairperson, National Human Rights Commission—Chairman; (2.) Member, National Human Rights Commission—Member; (3.) Secretary General, National Human Rights Commission – Member. Note: - The Members of the above Committee	Not applicable.

				<p>from a recognised university.</p> <p>(ii) research experience in one of the following fields:</p> <p>(a) Constitutional Law and its Theory.</p> <p>(b) Human Rights jurisprudence.</p> <p>By re-employment: -</p> <p>Persons who have held analogous post under the Central Government or Supreme Court or High Court and possessing experience as Registrar of a higher judiciary or of any other post involving interpretation or application of statutes.</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.</p>	<p>will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Registrar (Law) in National Human Rights Commission.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-eight years' as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 3: In case of re-employment the engagement shall be for a period of three years or sixty-five years of age whichever is earlier.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Joint Secretary.	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-14 (Rs.144200-218200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	<p>Deputation.</p> <p>For ex-servicemen: Deputation or re-employment.</p>	<p>By deputation of empanelled All India or Central Service officers or officers holding analogous posts under the Central Government or officers holding posts in level-13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix with three years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.</p>	Not applicable.	Not applicable.

				<p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-eight years' as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For ex-Servicemen: Deputation or re-employment: -</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Chief Coordinator (Training).	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-14 (Rs.144200-218200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Re-employment or deputation (including short-term contract).	<p>Re-employment: From persons who have held analogous posts on regular basis under the Central Government or State Government or other Statutory Autonomous bodies, before proceeding on retirement.</p> <p>By deputation (including short-term contract) of empanelled All India or Central Service officers or officers holding analogous posts under the Central Government</p>	<p>(1.) Chairperson, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Member, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Secretary General, National Human Rights Commission –</p>	Not applicable.

				<p>or officers holding posts in level-13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix with three years' regular service in the grade or in level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade or officers holding the analogous posts on regular basis under the Statutory Autonomous bodies.</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-eight years' as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 3: The period of re-employment shall not exceed three years.</p>	<p>Member.</p> <p>Note: - The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Chief Coordinator (Training) in National Human Rights Commission.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Presenting Officer.	5* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-14 (Rs.144200-218200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract): - Judicial Officer who is holding or who has held the post of District or Additional District and	(1.) Chairperson, National Human Rights Commission— Chairman;	Not applicable.

				<p>Sessions Judge or Special Judge.</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-eight years' as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>(2.) Member, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Secretary General, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(4.) Registrar (Law), National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Note: - The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Presenting Officer in National Human Rights Commission.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Deputy Inspector General.	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-13A (131100-216600).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation.	By deputation: (i) Officers of the Indian Police Service or Central Police Organisations holding analogous posts on a regular basis;	(1.) Member, National Human Rights Commission – Chairman; (2.) Secretary General,	Not applicable.

				<p>OR</p> <p>(ii) Officers of the Indian Police Service who are approved for appointment as Deputy Inspector General under the Central Government;</p> <p>Note 1: Officers of Indian Police Service empanelled as Deputy Inspector General with 14 years' service shall be eligible for consideration for promotion as Deputy Inspector General.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Director General (Investigation), National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Note: -</p> <p>The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Deputy Inspector General in National Human Rights Commission.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Senior Superintendent of Police.	4* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-13 (Rs.123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation failing which by re-employment.	<p>By deputation:</p> <p>(i) Officers of the Indian Police Service working in the Selection Grade;</p> <p>OR</p> <p>(ii) Officer of Indian Police Service or</p>	<p>(1.) Secretary General, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Director General</p>	Not applicable.

				<p>Central or State Police Forces or Organisations in the Level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix with five years' regular service.</p> <p>By re-employment: Indian Police Service Officers who have retired at the level of selection grade or from retired officers of Central Police Forces or Organisations or from retired officers from State Police Forces who have held analogous posts on regular basis.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>(Investigation), National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Note: The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Senior Superintendent of Police in National Human Rights Commission.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Director.	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-13 (Rs.123100-215900).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term)	Promotion: Deputy Secretary in National Human Rights Commission with five years of regular service	Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Not applicable.

			<p>contract)</p> <p>For ex-servicemen:</p> <p>Deputation or re-employment.</p>	<p>in level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government, State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions;</p> <p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department.</p> <p>Or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p>	<p>consisting of: -</p> <p>(1.) Chairperson, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Member, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Secretary General, National Human Rights Commission – Member.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>(b) possessing five years experience in personnel and general administrative matters.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For ex-Servicemen: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Joint Registrar.	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-13 (Rs.123100-215900).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion:- Deputy Registrar in National Human Rights Commission with five years' regular service in level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including Short-term contract): Officers of the Central Government, the State Government, Union</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1.) Chairperson or Member, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Secretary General, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Registrar (Law), National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

				<p>territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:</p> <p>(a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>and</p> <p>(b) possessing a Degree in Law from a recognised University and five years experience in Court matters or of any other post involving interpretation or application of statutes.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Deputy Registrar.	3* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion:- Assistant Registrar in National Human Rights Commission with five years' regular service in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including Short-term contract): Officers under the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations,</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1.) Secretary General, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Registrar (Law), National Human Rights Commission—Member;</p> <p>(3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

				<p>Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; Or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>And</p> <p>(b) possessing a Degree in Law from a recognised University and five years experience in Court matters or of any other post involving interpretation or application of statutes.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>department shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Joint Director (Research).	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion:</p> <p>Senior Research Officer in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1.) Member, National Human Rights Commission-Chairman;</p> <p>(2.) Secretary General, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

				<p>By deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or recognised Research Institution:</p> <p>(a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing following qualifications and experience:</p> <p><u>Essential</u></p> <p>(i) Master of Laws from any recognised University;</p> <p>(ii) Masters' in Political Science or Sociology or Social Work or Economics or Human Rights or Psychology or Population Studies or Criminology from a recognised University;</p> <p>(iii) five years' research experience in any of the above subjects in a recognised Institution or University.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Senior Principal Private Secretary.	01* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion: -</p> <p>Principal Private Secretary in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1.) Secretary General, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Director,</p>	Not applicable.

				<p>completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department with five years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The Departmental officers shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for</p>	National Human Rights Commission – Member.	
--	--	--	--	---	--	--

				appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. Deputy Secretary.	01* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.	<p>Promotion:- Under Secretary of National Human Rights Commission in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix with five years' of regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1.) Chairperson, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Secretary General, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission—Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. Assistant Registrar.	10* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	<p>(i) 50 percent by promotion;</p> <p>(ii) 50 percent by deputation (including short-term contract).</p>	<p>By promotion: Section Officer in the National Human Rights Commission with seven years' regular service in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix and holding a degree in Law from recognised University.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By Deputation (including short-term contract): - Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or recognised Research Institution:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with seven years' service rendered after appointment to the post</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1.) Secretary General, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Registrar (Law), National Human Rights Commission—Member;</p> <p>(3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission—Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1.) Registrar (Law), National Human Rights Commission—Chairperson;</p> <p>(2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission—Member;</p> <p>(3.) Joint Registrar, National Human Rights Commission—</p>	Not applicable.

				<p>on a regular basis in the level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing a degree in Law from recognised University.</p> <p>Note 1: The Departmental officers shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>	Member.	
--	--	--	--	--	---------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Under Secretary.	3* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	Promotion failing which by deputation.	<p>Promotion :</p> <p>Section Officers in National Human Rights Commission in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix having seven years of regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officer under the Central Government, the State Government or Union territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with seven years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1.) Chairperson, National Human Rights Commission - Chairman;</p> <p>(2.) Secretary General, National Human Rights Commission -Member;</p> <p>(3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission - Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1.) Secretary General, National Human Rights Commission - Chairman;</p> <p>(2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission-Member;</p> <p>(3.) Director, National</p>	Not applicable.

				<p>(b) possessing a degree in Law from recognised university.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>	Human Rights Commission - Member.	
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. Senior Research Officer.	2* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-11(Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	<p>(i) 50 percent by promotion failing which by deputation;</p> <p>(ii) 50 percent by deputation.</p>	<p>Promotion: Research Officer in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1.) Secretary General, National Human Rights Commission-</p>	Not applicable.

				<p>being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation:</p> <p>Officers under the Central Government or the State Government or Union territories:</p> <p>(a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>(b) possessing following qualifications and experience:</p> <p>Essential Qualification:</p> <p>(i) Masters' degree in political science, History, Statistics, Sociology of a recognised university;</p> <p>(ii) four years' research experience in any of the social sciences.</p> <p>Desirable Qualification:</p> <p>Degree in law of a recognised University.</p> <p>Note 1: The departmental officers shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for</p>	<p>Chairman;</p> <p>(2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission—Member;</p> <p>(3.) Joint Director (R), National Human Rights Commission—Member.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. Principal Private Secretary.	07* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion: -</p> <p>Private Secretary in the National Human Rights Commission with seven years' regular service in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1.) Chairperson or a Member nominated by Chairperson, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Secretary General, National Human Rights Commission – Member;</p>	Not applicable.

				<p>probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1: The departmental officers shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract)</p>	<p>(3.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : -</p> <p>(1.) Secretary General, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Director, National Human Rights Commission – Member.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. Senior System Analyst.	1* (2020) *Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-11 (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract):- 'Officers under the Central Government or the State Government or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Semi-Government or autonomous organisations: (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing following qualifications and experience: Essential: (i) Master's Degree in Statistics or Mathematics or Operations Research or Physics or Economics or Commerce (with Statistics) from a recognised university or institute; Or Doctorate in any of the subjects mentioned in (i) above; Or Degree in Engineering or Computer Science from a recognised University or equivalent.	(1.) Secretary General, National Human Rights Commission – Chairman; (2.) Joint Secretary National Human Rights Commission – Member; (3.) Joint Registrar, National Human Rights Commission – Member. Note:- The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Senior System Analyst in National Human Rights Commission.	Not applicable.

				<p>(ii) Seven years' experience of electronic data processing work out of which at least three years' experience should be in actual programming on the electronic computer.</p> <p>Desirable: -</p> <p>(i) Formal training in computer programming or system design or analysis;</p> <p>(ii) Master's degree in Engineering or Computer Science.</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. Information and Public Relations Officer.	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-11 (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory	1. Member, National Human Rights Commission – Chairman;	Not applicable.

				<p>organisation, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:</p> <p>(a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) having Bachelors' degree from a recognised University or Institution with a Post-Graduation or Diploma in Public Relations or Journalism or Mass Communication and having experience of at least three years in supervisory capacity in public relations or publicity, printing and publishing.</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of application.</p>	<p>2. Secretary General, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>3. Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Note: - The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Information and Public Relation Officer in National Human Rights Commission.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. System Analyst.	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-10 (Rs.56100-177500).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotee.	Deputation (including short-term contract)/ promotion.	<p>Promotion:-</p> <p>Programmer in National Human Rights Commission in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with three years' of regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including Short-term contract): Officers under the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department.</p> <p>Or</p> <p>(ii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1.) Secretary General, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Director, National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

				<p>level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience: -</p> <p>(i) Master's Degree in Computer Applications or M.Sc (Computer Science or Information Technology) from a recognised University or Institute;</p> <p>Or</p> <p>Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) five years experience of electronic data processing work, out of which at least three year experience should be in actual programming on an electronic computer.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. Assistant Information Officer.	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-10 (Rs.56100-177500).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).	<p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p>	<p>(1.) Secretary General, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Director, National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Note: -</p> <p>The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as</p>	Not applicable.

				<p>and</p> <p>(b) holding a degree or Post Graduate Diploma in Journalism from a recognised university or institution and having experience of at least three years in supervisory capacity in public relations or publicity, printing and publishing.</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' on the closing date of receipt of application.</p>	<p>the case may be to select candidate for the post of Assistant Information Officer in National Human Rights Commission.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. Research Officer	2* (2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-10 (Rs.56100-177500)	Selection	<p>Age not exceeding 35 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu</p>

					and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>Essential:- Master's Degree in Social Science from a recognised University.</p> <p>Desirable:- (i) Degree in Law from a recognised university; (ii) three years' research experience in any of the social science.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits and promotees	<p>(i) 50 percent by promotion failing which by direct recruitment;</p> <p>(ii) 50 percent by direct recruitment failing which by deputation (including short-term contract).</p>	<p>Promotion: Senior Research Assistant in the National Human Rights Commission with three years' regular service in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including Short-term contract):- Officers of the</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Secretary General, National Human Rights Commission - Chairman; (2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission - Member; (3.) Joint Director (R), National Human Rights Commission - Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission - Chairman; (2.) Joint Director (R), National Human Rights Commission -</p>	Not applicable.

				<p>Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institution:</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Column (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some</p>	<p>Member;</p> <p>(3.) Senior Research Officer, National Human Rights Commission—Member.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. Librarian/ Documentation Officer	1* (2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-10 (Rs.56100-177500)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short-term contract).	<p>Deputation (including Short-term contract):- Officers under the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:</p> <p>(a)(i) holding analogous post in Library service on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>OR</p> <p>(ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>and</p> <p>(b)possessing the educational qualifications and experience as</p>	<p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Joint Director (R), National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Note: - The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or</p>	Not applicable.

				<p>mentioned below: -</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor's Degree in Library Science from a recognised University;</p> <p>(ii) two years' professional experience in a Library including Documentation and Bibliographical work;</p> <p>Or</p> <p>Post Graduate Degree in Library Science from a recognised University.</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of application.</p>	<p>Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Librarian/ Documentation Officer in National Human Rights Commission.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23. Assistant Director (Hindi)	1* (2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable.	Level-10 (Rs.56100-177500)	Selection.	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	One year for promotee.	Deputation (including short term contract)/ promotion.	By Promotion: - Senior Translators in National Human Rights Commission with three years' regular service in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1.) Secretary General,	Not applicable.

			<p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation (including short-term contract): -</p> <p>Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertaking, University or recognized Research Institutions:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing following qualifications and experience:</p> <p>Essential</p> <p>(i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the</p>	<p>National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Director, National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Deputy Secretary, National Human Rights Commission—Member.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;</p> <p>(ii) three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under the Central Government or the State Governments or autonomous body or</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.</p> <p>Or</p> <p>three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under the Central Government or the State Governments or autonomous body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.</p> <p>Desirable:</p> <p>Studied one of the languages other than Hindi included in the EIGHTH SCHEDULE of the Constitution at 10th level from a recognised Board.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24. Programmer	1* (2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-7 (Rs.44900-142400)	Selection.	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion:- Programmer Assistant in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):- 'Officers under the Central Government or the State Government or Universities or Government Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or autonomous organisations: -</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Joint Registrar, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Senior System Analyst, National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

				<p>(a) holding analogous posts on regular basis; and</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience: -</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Statistics or Mathematics (with Statistics) or Operation Research or Physics or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) from a recognised university;</p> <p>Or</p> <p>Bachelors' Degree in Engineering or Computer Science from a recognised University.</p> <p>(ii) three years experience of electronic data processing work, out of which at least one year experience should be in actual programming on an electronic computer.</p> <p>Or</p> <p>Master's Degree in Engineering or Doctorate degree in any of the subjects mentioned in (i) above.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) formal training in Computer Programming or System design or analysis;</p> <p>(ii) knowledge of one or more programming languages.</p> <p>Note 1: The departmental officers shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract)</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25. Senior Translator (Hindi).	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion: Junior Translators in National Human Rights Commission with five years' regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

				<p>completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including Short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; OR</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post of Junior Translator on a regular basis in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix;</p> <p>And</p> <p>(b) possessing following qualifications and experience: -</p> <p>Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;</p> <p>And</p> <p>recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or the State Government office, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26. Senior Research Assistant.	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion</p> <p>Research Assistant in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):- Officers of the Central Government, the State</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</p> <p>-</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission- Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission - Member;</p> <p>(3.) Joint Director (R), National Human Rights Commission - Member.</p>	Not applicable.

				<p>Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institution:</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>(b) possessing the following qualifications and experience:</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Social science from recognised University;</p> <p>(ii) two years' research experience in any of the social science.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				years' as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. Assistant Accounts Officer.	3* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 67 percent by promotion failing which by deputation; (ii) 33 percent by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion:-</p> <p>Accountant in the National Human Rights Commission with five years' regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract):-</p> <p>Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission—Member;</p> <p>(3.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

				<p>the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing any one of the following qualifications: -</p> <p>(i) pass in the Subordinate Audit/Accounts Service examination conducted by any one of the organised Accounts Departments of the Central Government;</p> <p>(ii) successful completion of training in the Cash and Accounts work in Institute of Secretariat Training and Management training course and a minimum of three years' experience in Cash, Accounts and Budget Work.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. Deputy Documentation Officer.	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-6 (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotee.	Deputation/promotion.	<p>Promotion: Assistant Librarian in National Human Rights Commission in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with ten years' of regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : -</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

				<p>qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government or the State Government or Union territories—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or</p> <p>(ii) with ten years regular service in posts in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience;</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) two years' professional experience in a Library under the Central Government or State Government or autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or recognised Research or Educational Institution.</p> <p><u>Desirable</u></p> <p>(i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be</p>	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1.) Director, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Librarian/ Documentation Officer, National Human Rights Commission – Member.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29. Junior Translator (Hindi).	2* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.	<p>Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-</p>

					division of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Direct Recruitment failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government, the State Government, Union territories autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions:</p> <p>(a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Assistant Director (Hindi), National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

<p>examination at the degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;</p> <p>Or</p> <p>Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;</p> <p>and</p> <p>Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa from a</p>						
--	--	--	--	--	--	--

recognised university or institute or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking						
---	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30. Research Assistant	3* (2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-6 (Rs.35400-112400)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential: Bachelor Degree from a recognised university.	Not applicable	Two years for direct recruits	Direct recruitment failing which by deputation (including short-term contract)	Deputation (including short-term contract):- Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1.) Joint Secretary,	Not applicable.

<p>Desirable:</p> <p>(1.) Minimum one-year research experience in any recognised University or recognised Research Institution;</p> <p>(2.) Degree in Law or Human Rights from a recognised university.</p>				<p>Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institution:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent or with ten years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix in the parent cadre or department;</p> <p>and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications or experience prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Joint Director (R), National Human Rights Commission – Member.</p>	
---	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31. Programmer Assistant	2* (2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-6 (Rs.35400-112400)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short-term contract)/ absorption	<p>Deputation (Including short-term contract)/ absorption:-</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Semi-Government or autonomous organisations: -</p> <p>(a) holding analogous post on a regular basis;</p> <p>(b) possessing following educational qualifications and experience:</p> <p>Essential: -</p> <p>(i) Masters' Degree in Statistics or Mathematics or Operations Research or Physics or Economics or Commerce (with Statistics) or Degree in Engineering or Computer Science from a recognised University;</p> <p>(ii) two years' experience of an electronic data processing work including one year's experience of computer programming or operation;</p> <p>Or</p> <p>two years' experience of data processing work including one year's experience of unit record system (Tabulator or accounting machines, collator etc);</p>	<p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Joint Registrar, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Senior System Analyst, National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Note: -</p> <p>The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Programmer Assistant in National Human Rights Commission.</p>	Not applicable.

				<p>Or</p> <p>(i) Degree from a recognised university with Statistics as a subject;</p> <p>(ii) five years' experience as mentioned in (ii) above.</p> <p>Desirable: -</p> <p>(i) formal training in computer programming operation;</p> <p>(ii) knowledge of one or more of the programming languages;</p> <p>(iii) experience of operating mechanical tabulation equipment and of planning and supervising work on such equipment.</p> <p>Note 1: The Central or State Government officers shall only be considered for absorption.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>	
--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32. Accountant	3*(2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-6 (Rs.35400-112400)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Two years	(i) 67 percent by promotion failing which by deputation; (ii) 33 percent by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion:- Junior Accountant in the National Human Rights Commission with ten years' regular service in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix having undergone the Cash and Accounts Course from Institute of Secretariat Training and Management.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract) Officers of the Central Government, the State Governments, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission - Member;</p> <p>(3.) Senior Accounts Officer, National Human Rights Commission — Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1.) Director, National Human Rights Commission - Chairman;</p> <p>(2.) Senior Accounts Officer, National Human Rights Commission — Member;</p>	Not applicable.

				<p>the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) With ten years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix; and</p> <p>(b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management and possess three years' experience of cash, accounts and budget work.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by</p>	<p>(3.) Assistant Accounts Officer, National Human Rights Commission – Member.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. Staff Car Driver (Special Grade)	1* (2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-6 (Rs.35400-112400)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion	<p>Promotion:</p> <p>Staff Car Driver Grade-I in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix with three years of regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1.) Director, National Human Rights Commission—Chairman;</p> <p>(2.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Deputy Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Director, National</p>	Not applicable.

					Human Rights Commission – Member; (3.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member.	
--	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. Staff Car Driver Grade-I	4* (2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-5 (Rs.29200-92300)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion	<p>Promotion: Staff Car Driver Grade-II in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1.) Director, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Deputy Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35. Staff Car Driver Grade-II	3* (2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-4 (Rs.25500-81100)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable.	Not applicable	Promotion.	<p>Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with eight years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1.) Director, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Deputy Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36. Staff Car Driver (ordinary grade)	4* (2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-2 (Rs.19900-63200)	Not applicable	<p>Between 18 and 27 years* (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for</p>

					<p>those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep)</p> <p>* The recruitment is to be made by direct open competitive Examination.</p>
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>Essential:</p> <p>(i) possession of a valid driving license for motor cars;</p> <p>(ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle);</p> <p>(iii) experience of driving a motor car for at least three years; and</p> <p>(iv) pass in 10th standard.</p> <p>Desirable:</p> <p>three years' service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p>Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.</p> <p>Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of opinion that the</p>	Not applicable	Two years for direct recruits	Direct Recruitment	Not applicable	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(1.) Director, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Deputy Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.						
---	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37. Junior Accountant	3* (2020) * Subject to variation depending on work load	Not applicable	Level-4 (Rs.25500-81100)	Not applicable	Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential: - B.Com with knowledge in computer applications. Desirable: - Experience in	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment through all India open competition failing which by deputation (including short-term	Deputation (including short-term contract):- Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1.) Joint Secretary,	Not applicable.

dealing with accounts and cash matters.			contract).	<p>organisation, Public Sector Undertakings, universities or recognised Research Institutions:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>(ii) failing which Upper Division Clerk in Central Secretariat Clerical Service with Cash and Accounts training conducted by the Institute of Secretariat Training and Management; and</p> <p>(b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruitment under Column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Senior Accounts Officer, National Human Rights Commission – Member.</p>	
---	--	--	------------	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38. Upper Division Clerk.	11* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-4 (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 70 percent by promotion failing which by deputation; (ii) 30 percent by deputation.	<p>By promotion:-</p> <p>Promotion of Lower Division Clerk of National Human Rights Commission who have completed eight years' regular service in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation: -</p> <p>(i) Officers of the Central Government holding analogous post on regular basis;</p> <p>or</p> <p>(ii) with eight years' regular service in the grade of Lower Division Clerk [level-</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Asstt Registrar (Law), National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

				<p>2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix] or equivalent.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39. Assistant Librarian.	1* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-4 (Rs.25500-81100).	Not applicable.	<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>(Relaxable for Government servant up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,</p>

					Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University or Institute;</p> <p>(ii) Two years' professional experience in a Library under the Central Government or the State Government or autonomous or statutory organization or Public Sector Undertakings or University or recognised Research or Educational Institution.</p> <p>Desirable:</p> <p>Diploma in Computer Application from a recognised university or Institute.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Direct recruitment failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Deputation (Including short-term contract):</p> <p>Officers under the Central Government or the State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or autonomous organisations –</p> <p>(a) holding analogous posts on a regular basis;</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Joint Director, National Human Rights Commission – Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. Stenographer Grade-D.	22* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-4 (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential: (i) 12 th Class pass or equivalent from a recognised Board or University. (ii) Skill test norms:- Dictation: 10 Minutes @ 80 words per minute. Transcription (only on computer): 50 Minutes (English) 65 Minutes (Hindi). Note: Preference will be given to those who know	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Direct recruitment failing which by deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract):- Officers of the Central Government, the State Governments, Union territories, autonomous or statutory organisations, Public Sector Undertakings, Universities or recognised Research Institutions holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1.) Director, National Human Rights Commission—Chairman; (2.) Under Secretary, National Human Rights Commission—Member; (3.) Assistant Registrar (Law), National Human Rights Commission -	Not applicable.

both English and Hindi stenography. Desirable: Diploma in Computer from a recognised university or institute.				appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.	Member.	
--	--	--	--	---	---------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41. Constable.	12* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-3 (Rs.21700-69100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation.	By deputation: From amongst personnel of the Central Armed Police Forces or State Police Organisations: - Holding analogous post in any Central Armed Police Forces or Constable from State Police organisations with five years' regular service. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not	(1.) Director, National Human Rights Commission – Chairman; (2.) Senior Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member; (3.) Deputy Superintendent of Police, National Human Rights Commission – Member. Note: - The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate	Not applicable.

				exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	for the post of Constable in National Human Rights Commission.	
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42. Lower Division Clerk.	20* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-2 (Rs.19900 - 63200).	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential:- (i) 12 th Class qualification from a recognised Board or Universities; (ii) typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minutes in Hindi on computer.	Yes, to the extent indicated in column (10).	Two years.	(ii) 85 percent by direct recruitment; Note: Selection will be on the basis of written examination and typing test on computer. (iii) 15 percent by promotion.	Promotion: Multi-Tasking Staff in level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix of National Human Rights Commission with three years' regular service and who are in possession of qualification prescribed for direct recruitment; Note: Basis of the promotion shall be seniority cum fitness basis.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission-Chairman; (2.) Director, National Human Rights Commission – Member;	Not applicable.

					<p>(3.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission– Chairman;</p> <p>(2.) Director, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Deputy Secretary, National Human Rights Commission – Member.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43. Despatch Rider.	2* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	<p>Deputation (including short-term contract).</p> <p>For ex-servicemen: Deputation/ re-employment.</p>	<p>Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government, the State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector, Undertakings, University or recognised Research Institution:</p>	<p>(1.) Director, National Human Rights Commission – Chairman;</p> <p>(2.) Under Secretary, National Human Rights Commission – Member;</p> <p>(3.) Deputy Superintendent of Police,</p>	Not applicable.

				<p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(ii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) (i) possession of a valid driving license for Motor Cycle or Auto rickshaw;</p> <p>(ii) two years' experience in driving Motorcycle or Auto rickshaw;</p> <p>(iii) knowledge of Motor Cycle or Auto rickshaw mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle).</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-</p>	<p>National Human Rights Commission – Member.</p> <p>Note: -</p> <p>The Members of the above Committee will act as Members of the Screening Committee or Selection Committee as the case may be to select candidate for the post of Despatch Rider in National Human Rights Commission.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>term contract) is not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of application.</p> <p>For ex-servicemen:</p> <p>Deputation/ re-employment.</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment:</p> <p>Note: The period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44. Multi-Tasking Staff.	78* (2020) * Subject to variation depending on work load.	Not applicable.	Level-1 (Rs.18000-56900).	Not applicable.	<p>Between 18 and 25 years of age.</p> <p>(The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p>Note:</p> <p>The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam,</p>

					Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman & Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pass in 10 th Class or equivalent from a recognised Board or University.	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : - (1.) Joint Secretary, National Human Rights Commission – Chairman; (2.) Director, National Human Rights Commission - Member; (3.) Assistant Registrar (Law), National Human Rights Commission —Member.	Not applicable.

[F. No.15011/124/2018-HR.III]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.